

66

65



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 91d13d34ed03c44ed5c8

Receipt Date : 21-Jan-2021 11:00:47 pm

Receipt Amount : 14400/-

Amount In Words : Fourteen Thousands Four Hundred Rupees Only

Token Number : 20210000008294

Office Name : SRO - Simdega

Document Type : Sale Deed

Payee Name : ABU TALHA ALAM (Vendee)

GRN Number : 2103956032

सशस्त्र सेना झंडा दिवस




7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY



:- For Office Use :-

Deface किया गया।
27.1.21




इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त में माध्यम से पूर्व में
किसी प्रकार की खेला नहीं की गई है।

अबु तालहा आलम

27/01/21

Amiruddin Mirza



Attended by me
Advocate
21/01/2021

46-6-Road
23-IA

27.1.21

श्री अमीरुद्दीन मिया
पिता कलाल मुस्लिम
ता. 21.1.2021

क्रिय पत्र

§ 18 लेख्यकारी:- श्री अमीरुद्दीन मिया पिता स्व० स्मृ मिया,
जाति- कलाल मुस्लिम, पेशा- कृषि, निवास ग्राम- चारमुण्डा,
धाना- ठेईटांगर, जिला- सिमडेगा, ह्वाल मोकाम- खेरनटोली
सिमडेगा, धाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
आधार कार्ड संख्या 5260 0097 7879

.. . . . बिक्रेता ।

शपथ पत्र संख्या:- 26/2021
होलिडिंग नं० 0180000527000स्म००

सम्मान खात
पिता ह्वाल अमीरुद्दीन
ग्राम खेरनटोली स्मृ मोकाम सिमडेगा
धाना + जिला सिमडेगा 2

21.1.2021

अंचल द्वारा प्रेषित अनिवार्य
सूची में इस पत्र का खाल एवं
जॉर नं० गरी है। 27-01-2021

§2§ लेख्यधारी:- अबु तलहा आलम पिता मोहम्मद मुमताज
आलम, जाति- कलाल मुस्लिम, पेशा- व्यापार, निवास ग्राम-
खैरनटोली सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
आधार कार्ड संख्या 6291 5266 3039

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 27 / 2021

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला कैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिंग तीन लाख साठ हजार रुपये अर्थात् 3,60,000/-
रुपये होता है ।

§5§ सम्मति:- सराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा खैरनटोली
पूर्वी भाग, थाना- सिमडेगा, वार्ड नं० 18, थाना नं० 116,
सदर रजिस्ट्री ऑफिस वी जिला- सिमडेगा के खाता नं० 141
एक सौ एकतालिससैं प्लॉट नं० 1847 अठारह सौ सैतालिससैं
रकबा 0.27 एकड़ में से 0.06 एकड़ छः डिसमिल आवासीय
जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।
जिसकी चौहंददी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- पी.सी.सी. सड़क,

पूरव :- शौकत मियां का जमीन,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश ।

मालगुजारी 10 पैसा इंस पैसा अलावे सेस खाना ।

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त वर्णित जमीन को पूर्व में
विक्री नहीं किया हूँ ।

अबु तलहा आलम
पिता मोहम्मद मुमताज
सिमडेगा थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा
27-01-2021

मो० शाहीदु आलम

पिता अबु तलहा आलम

जाम खैरन टोली

थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा

21-1-2021

इस पत्र को कमीशन मित्र
वां आलम आलम
ता० 21-1-2021

§1§ चूँकि मुझ लेख्यकारी को गकान बनाने, विमारी का इलाज एवं अन्य घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्री वर्णित जमीन मेरी खरीदगी है जिसे मैंने केवाला संख्या 865/1983 के द्वारा खरीदा है, जिसका बुक नं० 1, भोल्युम नं० 3, पेज नं० 148 से 151 तक है । दाखिल खारिज वाद संख्या 203 आर 27/88-89 के द्वारा दाखिल खारिज होकर मेरे नीज नाम से मालगुजारी रसीद कटता है जो पंजी 11 के भोल्युम नं० 3, पेज नं० 162 में दर्ज है । बाद खरीदगी के उक्त जमीन पर मेरा निर्विवाद हक दखल वी कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है । खतियान के अनुसार उक्त जमीन कायमी है । खतियानी रैयत का नाम हरीनाथ भोगता है ।

मैंने
लेख्यकारी
को
बेचा
1988-1-18
ता. 31-1-2021

On Line स्वस्थता, एवं पंजी
का मिलावट
for Nirmal
27/01/2021

§ 4§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§ 5§ इसलिये यह विक्रय पत्र केवाला केना कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं कलाल मुस्लिम जाति का हूँ । सरकार के विशेष सचिव, झारखण्ड सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापक 591 दिनांक 1.3.12 पत्रांक 7 / होल्डिंग हस्ता निति 20/2009 दिनांक 19.6.2012 के द्वारा दी गई सूची में मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता हूँ ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजह्दा के तहत नहीं है ।

शुभम प्रो. आर. डी. सिंह
श्री. आर. डी. सिंह
दिनांक 21-1-2012

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो
बख्त जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

डेप्यारि अमीरुद्दीन सिद्दीक
वा. आनन्द नगर
ता. 21/1/2021




डेप्यारि अमीरुद्दीन सिद्दीक
वा. आनन्द नगर
ता. 21/1/2021

प्रमाणित किया जाता है कि अमीरुद्दीन सिद्दीक के बाएं
हाथ का चारों अंगुलियों का दाप मेरे समक्ष लिया गया है।

Md. Junaid
Advocate
21/01/2021

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो
खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

अबु तलहा आलम
21/01/2021



प्रमाणित किया जाता है कि अबु तलहा आलम के
बाएं हाथ का चारों अंगुलियों का दाप मेरे समक्ष लिया
गया है।

Md. Junaid
Advocate
21/01/2021

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Md. Junaid
Advocate
प्रारूपकर्ता 21/01/2021
तारीख:-

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मौजूद
21-01-2021
मौजूद
कच्छरी परिसर,
सिमडेगा ।

संलग्नक:-

1. बिफ्रेता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. फ्रेता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
3. पहचानकर्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
4. गवाह के आधार कार्ड का छायाप्रति,
5. केवाला पट्टा का छायाप्रति,
6. शुद्धि पत्र का छायाप्रति,
7. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
8. खतियान का छायाप्रति,
9. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति,
10. सर्वे नक्सा का छायाप्रति,
11. फार्म संख्या 1 का मूल प्रति,

प्रमाणित किया जाता है
मौजूद
21-01-2021

